न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :–वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 310 / 2026
भदौर थाना कांड संख्या 23 / 2026

---

1. लल्लु महतो, पिता स्व0 कपिल महतो, उम्र करीब 52 वर्ष,

2. स्वारथ महतो, पिता स्व0 कपिल महतो, उम्र करीब 68 वर्ष,

3. योगेन्द्र महतो, पिता स्वारथ महतो, उम्र करीब 42 वर्ष

सभी साकिन–बकवां बिघा, थाना भदौर, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रोहित कुमार

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

11.06.2026 कारागीन आवेदक अभियुक्त 1. लल्लु महतो, 2. स्वारथ महतो एवं 3. योगेन्द्र महतो की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद भदौर थाना कांड संख्या 23 / 2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 218 / 2026 दिनांक 12.05.2026 को इसी न्यायालय से खारिज किया गया था तथा पूर्व में कोई नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और इन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा जैसी घटना बतायी गयी है, वैसी घटना नहीं घटी है। संपूर्ण अभियोजन कथानक झूठा, बनावटी एवं सत्यता से परे है। उभय पक्ष एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। प्रस्तुत वाद में धारा 109 भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम का आरोप नहीं बनता है तथा उक्त धाराओं को छोड़ अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध 27 शस्त्र अधिनियम आरोप झूठा एवं बनावटी है और किसी भी तरह से आकर्षित नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि सूचक एवं लल्लु सिंह अभियुक्तों के घर के पास शराब पीते थे, जिसका विरोध किये जाने पर अभियुक्तों के परिवार को गाली दिया और हमला किया, जिसका शिकायत भदौर थाना से की गई तो शिकायत दर्ज नहीं किया गया तथा उसी घटना को लेकर सूचक गलत इरादे से केस दर्ज करवा दिया। इस वाद में महिलाओं को छोड़ परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक रामानुज सिंह हैं। अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.02.2026 को शाम 6 बजे सूचक अपने तलाब एवं खेत देखकर घर बकामां वापस आ रहे थे,

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :—वीरेन्द्र कुमार चौबे
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 310/2026</u>
भदौर थाना कांड संख्या 23/2026

लगातार
11.06.2026

जैसे ही प्रा0 वि0 बकामां बिघा के पास से नदी में उतरे तो लल्लु महतो हाथ में लिये खंती को इन पर चला दिया जो सूचक के सिर पर लगा। उसके बाद सूचक जब भागने लगा तो स्वारथ महतो हाथ में लिये पिस्टल से गोली चला दिया। उसके बाद जोगिन्दर महतो हाथ में लिये कट्टा से गोली चला दिया। इसी बीच सूचक भागते हुए गांव के लोगों को आवाज दिया तो कुछ लोग उधर से दौड़े तो किसी तरह जान बचाकर नदी के इस पार आया। अभियुक्तगण आदमी को देखकर भाग गया। नदी के पार गिर गये तो बकामां के लोग उठाकर ले गए और ईलाज के लिए बाढ़ लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पी.एम.सी.एच. रेफर कर दिया गया। पांच में से तीन लोगों को पहचाना एवं दो लोग को नहीं पहचान सका। सभी बकामां बिघा के निवासी हैं। करीब 4 महीना पूर्व में लल्लु महतो ने पांच लाख रुपया रंगदारी मांगा था और नहीं देने के बाद जान से मारने का धमकी दिया था।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्तों पर सूचक को खंती से सर पर मारकर एवं पिस्टल से गोली चलाकर जख्मी कर देने का आरोप है तथा जख्मी का ईलाज पी.एम.सी.एच. में कराये जाने की बात कही गई है। प्राथमिकी के अनुसार घटना का कारण पूर्व में 5 लाख की रंगदारी की मांग किये जाने पर रंगदारी नहीं देने के कारण घटना कारित किये जाने की बात कही गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि पारा—7, 8 में साक्षी उमाशंकर सिंह एवं परशुराम सिंह ने अभियुक्तों द्वारा खंती से मारकर सूचक के सिर पर जख्म कारित कर देने एवं उसके भागने के कम में उस पर गोली चलाये जाने की बात कही गई है। पारा—24 में वादी ने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा अभियुक्तों द्वारा उसे मारकर जख्मी किये जाने की बात कही गई है। पारा—32 में आवेदक अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात कही गयी है। पारा—38 में जख्मी वादी रामानुज के जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसमें उसके सिर पर पांच जख्म कारित होने का वर्णन है, जिसमें 3 जख्म उसके सिर पर कारित है, जो निम्न है।——

1. A abrasions on parietal region of the head 1½ x ½ inch.
2. A abrasions on frontal region of the head 1½ x ½ inch.
3. A abrasions on fronto pariental region of the head 2 x ½ inch.
4. A abrasions on left forearm ½ x ½ inch.
5. Pain in left hand, Advice X-ray of hand

Opinion reserved till the NCCT Brain and X-ray report opinion comes

जख्मों की प्रकृति के संदर्भ में राय सुरक्षित रखा गया है, प्राप्त नहीं है। पारा—68 में आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :—वीरेन्द्र कुमार चौबे
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 310 / 2026</u>
भदौर थाना कांड संख्या 23 / 2026

लगातार
11.06.2026

27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मामला सत्य पाया गया है। पारा—103 में पूरक जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसमें सर पर कारित चारों जख्मों की प्रकृति गंभीर (Grievous) दर्शाया गया है। सूचक की ओर से जख्मी का छायाचित्र दाखिल किया गया, जिसमें उसके सर पर कई जख्म दर्शित होते हैं। जख्म प्रतिवेदन के अनुसार सूचक के सर पर जो शरीर का नाजुक भाग है, तीन जख्म कारित किये गये हैं और सभी जख्म गंभीर प्रकृति के हैं, जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तों द्वारा जख्मी की हत्या का प्रयास करते हुए उसके सर पर कई बार वार किया गया है। अभियुक्तों पर सूचक सह जख्मी के उपर जानलेवा हमला करते हुए गंभीर प्रकृति के जख्म कारित करने का गंभीर आरोप है। वाद अभी अनुसंधानरत है।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दुष्टिगत रखते हुए इस स्थल पर आवेदक अभियुक्तगण 1. लल्लु महतो, 2. स्वारथ महतो एवं 3. योगेन्द्र महतो को नियमित जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इनका नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित / शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ